न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:01420-228487

प्रकरण संख्या :–12 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः– 15.03.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 08.04.2024

सरकार बनाम इन्दरा देवी व अन्य

राजस्व ग्राम अरनिया स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।

तहसीलदार बॉंदीकुई के पत्र कमांकः 213 दिनांकः 11.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम अरनिया स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 3299 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की ताईद में पटवारी हल्का अरनिया मौका पर्चा दिनांकः 15.02.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम अरनिया खाता सं. नया 202 पुराना 207, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण / खातेदारान जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण / खातेदारान लल्लूराम शर्मा व संतोष कुमार शर्मा न्यायालय हाजा में स्वयं उपस्थित आये। प्रस्तावित रास्ते बाबत अपनी सहमति प्रकट की। शेष खातेदारान बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी / पैरोकार सरकार एवं उपस्थित खातेदारान को सुना। तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न पटवारी हल्का अरनिया मौका रिपोर्ट दिनांकः 15.02.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से मौके पर डामर रोड (पक्की सडक) चालू है। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न पटवारी हल्का अरनिया मौका रिपोर्ट दिनांकः 15.02.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम अरनिया स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 202 पुराना 207 के खसरा नं. 3299 रकबा 0.39 हैक्ट. में से 0.16 हैक्ट. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खाते में यथावत रहेगी। तहसीलदार बॉंदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉंदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2025.04.30 16:06:01 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

सरकार बनाम इन्द्रादेवी व [illegible]

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र [illegible] -131 L.R. Act नं० 12 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/24	तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव/प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जारी नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 08/04/2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	[signature] लालूराम शर्मा रास्ते हेतु सहमति सन्तोष कुमार शर्मा [illegible]
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ [illegible] सरकार उपस्थित। तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/खातेदारान बाद तामील प्राप्त। खातेदारान लालूराम शर्मा एवं सन्तोष कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित आये। रास्ते हेतु सहमति प्रकट की। शेष खातेदारान बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी व उपस्थित खातेदारान को सुना। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक मौका फर्द पटवारी हलका दि० 15/3/24 [illegible] सड़क चालू है। [illegible] को [illegible] का [illegible] रास्ता [illegible]। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत [illegible] दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2025.04.30 16:06:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उक्त खाते मे यथावत रहेगी। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली के जाब्ता- शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2025.04.30 16:06:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner